तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/1/18	पत्रावली वास्ते निर्णय सुनाने हेतु पेश हुई। अपील अपीलार्थी स्वारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली बाद निर्णय फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नकल से … (पंकज कुमार ओझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/127

रहमान आयु 53 वर्ष आत्मज श्री वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. फिरोज खान आयु 34 वर्ष आत्मज श्री शफुद्दीन जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. इमरान खान आयु 19 वर्ष आत्मज श्री शफुद्दीन जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. कल्लो बाई आयु 31 वर्ष पत्नी शहजाद पुत्री श्री शफुद्दीन जाति मुसलमान तेली निवासी करमोदा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर ।
4. अमीना बाई आयु 26 वर्ष पत्नी सद्दाम पुत्री शफुद्दीन जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी राज0 हाल निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. मोसिना बाई आयु 22 वर्ष पुत्री श्री शफुद्दीन जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. कमला बाई आयु 56 वर्ष बेवा श्री शफुद्दीन जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम लाम्बाबरडा तहसील नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 834/4 रकबा 07 बीघा, खसरा नम्बर 835/5 रकबा 03 बीघा कुल किता 02 रकबा 10 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त

प्रार्थी का पिछले 35 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रार्थी ने उक्त भूमि पर अपने कच्चे मकान आदि बना रखे हैं । अप्रार्थीगण उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । यदि उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे तथा भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे और प्रार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा नहीं करे न ही किसी अन्य को उक्त भूमि हस्तान्तरित करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रमाणित होने पर भी इन बिन्दुओं पर निर्णय पारित नहीं किया है । रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के स्वर्गीय भाई के उत्तराधिकारी हैं और परिवार के सदस्यों के मध्य विवाद होने पर खातेदार पक्षकार को भी भूमि का रहन, बेचान एवं हस्तान्तरण किये जाने से रोका जाना चाहिए ताकि वाद बहुलता नहीं बढे । प्रार्थी अपीलान्ट उक्त भूमि पर मकान बनाकर रहते चले आ रहे है । किसी भी शांतिपूर्ण काबिज काश्त व्यक्ति को कानूनी प्रकिया अपनाये बिना बेदखल नहीं किया जा सकता भले ही वह अतिक्रमी ही क्यो न हो । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे, अपीलान्ट को बेदखल नहीं करे तथा कृषि भूमि को अन्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था के पक्ष में रहन, बेचान एवं हस्तान्तरित नहीं करे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि है और वह उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में नहीं है और न ही सुविधा का संतलुन एवं न ही अपूर्णीय क्षति होने की संभावना ही उसके पक्ष में है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 बहाल रखा जावे ।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस का मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिससे साबित है कि उक्त रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में होना साबित नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन ही उसके पक्ष में है क्योंकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर केवल हमे इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में है । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा